

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(24)नविवि / 11/2021

जयपुर, दिनांक: 28 JUL 2021

आज्ञा

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) में कार्यरत अधिशाषी अभियंता (सिविल) की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अस्थाई(प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	जन्म दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री प्रेमस्वरूप वशिष्ठ	2012-13	12/04/1956	सेवानिवृत्त 30.04.2016
2.	श्री मोहन लाल शर्मा	2012-13	01/05/1958	सेवानिवृत्त 30.04.2018(निलम्बित)
3.	श्री कन्हैया लाल चौहान	2012-13	19/06/1958	सेवानिवृत्त 30.06.2018
4.	श्री अनुप टंडन	2013-13	27/08/1960	सेवानिवृत्त 31.08.2020
5.	श्री नीरज माथुर	2012-13	28/04/1967	डेफर 2020-21 (अधीक्षण अभियंता)
6.	श्री सुरेश कुमार बेनीवाल	2012-13	05/01/1965	
7.	श्री तैयब खान	2012-13	01/07/1969	
8.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	2012-13	02/10/1962	
9.	श्री दीपक माथुर	2012-13	15/08/1964	
10.	श्री हरिश कुमार अग्रवाल	2012-13	31/05/1967	
11.	श्री सुनिल व्यास	2013-14	10/01/1964	
12.	श्री योगेश माथुर	2013-14	30/05/1969	
13.	मोहम्मद शाबिर	2014-15	10/11/1957	सेवानिवृत्त 30.11.2017
14.	श्री शिशिर कान्त	2015-16	11/11/1968	
15.	श्री महेन्द्र प्रकाश व्यास	2015-16	13/04/1968	
16.	श्री अनिल गालव	2015-16	12/12/1962	
17.	श्री पंकज अग्रवाल	2015-16	17/08/1968	

जिन अभियंताओं को उक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए 07 दिवस में अपनी आपत्ति इस विभाग में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त वरिष्ठता क्रम से किसी भी अभियंता को कोई आपत्ति नहीं है तथा यथासमय अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी। उक्त वरिष्ठता सूची नगरीय विकास विभाग की Website: www.udh.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।


आज्ञा से,


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित अभियंताओं को विभागीय वेबसाईट में माध्यम से।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम